रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाषः 24365161 फैक्सः 24360644

ई-मेल: reccorp@recl.nic.in वेबसाइटः www.recindia.nic.in

<u>2 डायकिन 1.8 स्प्लिट एसी की आपूर्ति के लिए बोली/दर</u>

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), भारत सरकार का उद्यम डायकिन के **प्राधिकृत व्यापारी/वितरकों से डायकिन 1.8 टन स्प्लिट एसी, मॉडल एफटीएक्सएस-60 एफबीएमए इनवर्टर मॉडल (हॉट और कोल्ड) तथा स्टेबिलाइजर और स्टैंड** की आपूर्ति करने और संस्थापित करने के लिए **'मुहरबंद बोलियां'** आमंत्रित करता है।

1. इस मुहरबंद बोली/दर पर बोलीदाता संगठन की ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे निम्नलिखित अधिकारी को भेजा जाएगाः

   उप महाप्रबंधक (प्रशासन),
   रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
   कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोदी रोड,
   नई दिल्ली-110003

2. ये बोलियां एक ऐसे लिफाफे में भेजी जाएंगी, जिसके ऊपर **डायकिन 1.8 टन स्प्लिट एसी, मॉडल एफटीएक्सएस-060 एफबीएमए** लिखा गया हो।

3. ये बोलियां दिनांक 02.09.2011 के 15.00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी। निर्धारित समय-सीमा के अंदर बोलियां प्राप्त न होने पर बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया के लिए अयोग्य पाया जाएगा। तकनीकी और वित्तीय बोलियां उसी दिन 16.00 बजे फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी।

4. अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) के रूप में 5,000 रुपए बोली दस्तावेज के साथ लगाया जाना चाहिए। अग्रिम जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह अग्रिम जमा राशि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन

लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक से जमा किया जाएगा। जिस बोली के साथ विधिमान्य अग्रिम धन जमा नहीं लगी होगी, उसे अमान्य समझा जाएगा और आरईसी द्वारा उसे रद्द कर दिया जाएगा।

निम्नलिखित स्थितियों में अग्रिम धन जमा को जब्त कर लिया जाएगा-

क. यदि बोलीदाता बोली की विधिमान्य अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है।

ख. सफल बोलीदाता के मामले में, यदि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपेक्षित मद नहीं दे पाता है।

ग. सफल बोलीदाता का अग्रिम जमा राशि निगम के समाधान तक अपेक्षित मद भेजे जाने और उसे संस्थापित किए जाने के बाद लौटाया जाएगा और असफल बोलीदाताओं की अग्रिम जमा राशि संविदा सौंपे जाने के बाद लौटाई जाएगी।

5. यह बोली, बोली खोली जाने की तारीख से 3 माह तक विधिमान्य रहेगी।

6. दर और कीमत

6.1 बोलीदाता निर्धारित प्रोफार्मा में यूनिट कीमत का उल्लेख करेंगे। इन दरों में अपेक्षित स्थान पर सुपुर्दगी और उसे लगाए जाने सहित सभी कर शामिल होंगे। अपूर्ण बोलियों को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। दर वाले कागज-पत्रों की प्रविष्टियों में की गई सभी शुद्धियों और परिवर्तनों पर बोलीदाता द्वारा तारीख सहित पूरे हस्ताक्षर किए जाएंगे। मिटाने या लिखे हुए पर लिखने की अनुमति नहीं होगी।

6.2 उल्लिखित कीमत पक्की होगी और प्रस्ताव की विधिमान्यता के दौरान दर, कीमत या शर्तों में किए गए किसी परिवर्तन के कारण अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

6.3 स्प्लिट एसी को आरईसी के परिसरों या दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर सुपुर्द करना होगा और इसके लिए कोई अतिरिक्तभाड़ा या अन्य प्रभार आदि एसी की आपूर्ति के लिए देय नहीं होंगे।

6.4 बिना शर्त बट्टा केवल उसी स्थिति में स्वीकार किया जाएगा यदि यह दिया जाता है और मद की अनुसूचियों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

6.5 बोलीदाता को अनुबंध-I में दिए गए फार्मेट में **डायकिन 1.8 टन स्प्लिट एसी, मॉडल एफटीएक्सएस-60 एफबीएमए** की आपूर्ति के लिए कीमतों का उल्लेख करना होगा।

7. **पूर्व योग्यता मापदंड**

बोलीदाता के पास निम्नलिखित मदें होनी चाहिएः

(i) पैन/जीआईआर संख्या

(ii) वैट/टिन संख्या

(iii) वह डायकिन कंपनी का प्राधिकृत व्यापारी/वितरक होना चाहिए।

8. **बोलियों का मूल्यांकन**

केवल खंड संख्या 7 में उल्लिखित योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरी करने वाली विधिमान्य बोलियों पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। 10 मीटर तांबे के पाइप की दर मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी। सभी करों, भाड़े, रखरखाव, संस्थापन और 10 मीटर तांबे के पाइप की लागत सहित न्यूनतम कीमत का उल्लेख करने वाले बोलीदाता पर संविदा/कार्य सौंपे जाने के संबंध में विचार किया जाएगा। लेकिन तांबे के पाइप की लागत वास्तविक लागत के अनुसार अदा की जाएगी।

9. **अदायगी की शर्तें**

आरईसी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संतोषजनक सुपुर्दगी और संस्थापन की रसीद देने और उसे प्रमाणित करने के सात दिन के अंदर अदायगी कर दी जाएगी।

10. **माध्यस्थम**

10.1 यदि पक्षकारों के बीच करार की शर्तों के अनुसार या उनके अधिकारों, दायित्वों या देयताओं के संबंध में कोई विवाद या मतभेद पैदा होता है, तो पक्षकार इन्हें सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करेंगे। यदि उचित समय के अंदर पक्षकार सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं कर पाते हैं तो विवाद, शंका या मतभेद को आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ को माध्यस्थम के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थ का निर्णय निष्कर्षपूर्ण, अंतिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिल्ली होगा।

माध्यस्थम की कार्रवाई वर्तमान माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 और यथासंशोधित भारत के कानूनों या समय-समय पर बनाए गए अधिनियमों के अनुसार की जाएगी।

माध्यस्थम का स्थान, नई दिल्ली, भारत होगा। मध्यस्थ का शुल्क और अन्य प्रभार इस अधिनियम के अनुसार मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और उन्हें दोनों पक्षकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

11. किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. आरईसी को अधिकार है कि वह अपने निर्णय के बारे में बिना कोई कारण बताए इस दर को आमंत्रित करने संबंधी प्रस्ताव को रद्द कर सकता है/वापस ले सकता है। इस प्रकार के निर्णय के परिणामतः आरईसी की किसी भी प्रकार की देयता नहीं होगी।

13. आरईसी को यह अधिकार है कि वह किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है और किसी भी समय बोली प्रक्रिया को रद्द कर सकता है और बिना कोई देयता के आदेश दिए जाने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को रद्द कर सकता है।

14. **लागू कानून और क्षेत्राधिकार**

इससे संबंधित सभी मामलों पर स्थायी रूप से और संभावित रूप से इस समय विद्यमान लागू भारतीय कानून लागू होंगे और यह दिल्ली में स्थित भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही रहेंगे।

15. ऐसे बोलीदाता (जो लघु इकाई हों) और जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास ''एकल बिंदु पंजीकरण योजना'' के अधीन पंजीकृत हों, उन्हें अग्रिम जमा राशि की अदायगी नहीं करनी होगी और उनकी प्रतिभूति जमा उस मौद्रिक सीमा तक माफ होगी, जिसके लिए यह इकाई पंजीकृत हो और उन्हें बड़ी इकाइयों की दरों की तुलना में 15औ तक वरीयता दी जाएगी। लघु उद्योग इकाइयां, जो उपर्युक्तरियायत का लाभ उठाना चाहती हैं, वे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा जारी किए गए अद्यतन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगी और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा विधिवत प्रमाणित मौद्रिक सीमा और वित्तीय क्षमता के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी।

16. आपूर्ति की जाने वाली मद मानक विनिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। इसकी अदायगी निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार माल के अच्छी हालत में प्राप्त होने/स्वीकार किए जाने के बाद स्वीकार की जाएगी।

17. बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने से पहले बोली दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करेंगे।

18. नियमों/कानून के अधीन स्वीकार्य करों की कटौती ठेकेदार के बिल से की जाएगी।

19. मदों की उल्लिखित मात्रा केवल अनुमानित है और इसे आवश्यकता के अनुसार आरईसी द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

20. बोलीदाता फर्मों को चाहिए कि वे ओईएम के अनुसार एसी की वारंटी अवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। लेकिन न्यूनतम वारंटी अवधि एक वर्ष होनी चाहिए। यदि इस अवधि के दौरान कोई दोष पाया जाता है तो व्यापारी द्वारा दो सप्ताह के अंदर इसे नःशुल्क रूप से ठीक किया जाए/बदला जाएगा।

21. किसी वैकल्पिक/सशर्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22. फर्म का दिल्ली में कम से कम एक कार्यालय होना चाहिए (भले ही वह शाखा कार्यालय हो या प्रधान कार्यालय।

23. आरईसी को यह अधिकार है कि वह संविदा सौंपे जाने से पहले किसी भी समय बोली प्रक्रिया को रद्द कर सकता है, जिसमें प्राप्त होने के बाद किसी या सभी बोलियों को रद्द किया जाना भी शामिल है, जिसके लिए आरईसी के निर्णय के आधार पर प्रभावित बोलीदाताओं की देयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या प्रभावित बोलीदाताओं को सूचना देने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके लिए उसकी कोई देयता नहीं होगी।

24. आरईसी को अधिकार है कि वह किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और किसी भी समय बोली प्रक्रिया को रद्द कर सकता है और आदेश दिए जाने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को रद्द कर सकता है, जिसके कारण उसकी कोई देयता नहीं होगी।

25. इन दस्तावेजों के संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण निम्नलिखित अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता हैः

श्री ए.के.अरोड़ा उप महाप्रबंधक (प्रशासन) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **<u>नई दिल्ली - 110 003</u>** फोन नं. 24366921	श्री विनय कुमार केसरवानी प्रबंधक (प्रशासन) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड., कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, **<u>नई दिल्ली - 110 003</u>** फोन नं. 43091537

अनुबंध-I

तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

1. फर्म का नाम : ....

2. पंजीकृत पता : ....

3. उस व्यक्तिका नाम और पता, जिसे संपर्क किया जाना हैः ....

   (i) पता : ....

   (ii) टेलीफोन नंबर लैंडलाइन : .... मोबाइल : ....

4. ई-मेल आईडी : ....

5. फर्म का प्रकार (कृपया निशान लगाएं)

   स्वामित्व वाली/भागीदारी वाली/लिमिटेड कंपनी/सहकारी समिति

6. पैन/जीआईआर नंबर(कृपया फोटो प्रति संलग्न करें)...

7. वैट/टिन नंबर(कृपया फोटो प्रति संलग्न करें) ....

8. बोलीदाता डायकिन कंपनी का प्राधिकृत व्यापरी/वितरक होना चाहिए (कृपया दस्तावेजी साक्ष्य लगाएं)

9. अग्रिम धन जमा (तकनीकी बोली के साथ लगाया जाएगा)।

   क) रकम 5,000 रुपए

   ख) डिमांड ड्राफ्ट संख्या

   ग) बैंक का नाम

क्रम सं.	वित्तीय बोली के ब्योरे	उल्लिखित यूनिट दर में सभी कर आदि और अपेक्षित स्थान पर सुपुर्दगी और संस्थापन संबंधी प्रभार शामिल होंगे।
1.	डायकिन 1.8 टन स्प्लिट एसी, मॉडल	

10.		एफटीएक्सएस-60 एफबीएमए इनवर्टर मॉडल (हॉट और कोल्ड) तथा स्टेबिलाइजर (प्रतिष्ठित ब्रांड) संस्थापन प्रभारों सहित	
	2.	तांबे के पाइप की दर प्रति मीटर	
		जोड़	

टेंडर दस्तावेजों में दी गई शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

मुहर...